बशर्ते कि दोनों परिवारों के बीच समानता बनी रहे।कोई कंपनी दो निदेशकों या उनके संबंधित नामितों के साथ व्यवसाय क्यों नहीं कर सकती और लेन-देन क्यों नहीं कर सकती, यह पूरी तरह से समझ में नहीं आता है।ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच विवादों को देखते हुए मध्यस्थ ने सोचा कि अपने परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो भाई वास्तव में कंपनी बनाने वाले वास्तविक व्यक्ति थे और जहां तक निदेशकों का संबंध है, उनके परिवारों में समानता होनी चाहिए।पक्षों के बीच यह भी विवादित नहीं है कि इन कंपनियों के अग्रदूत दो भाई हैं।जहां तक पुरस्कार के खंड (xii) का संबंध है, जिसमें रघबीर साइकिल इंटरनेशनल का भी उल्लेख है, यह कहना पर्याप्त है कि यह उल्लेख किया गया है कि गुरचरण सिंह और उनके परिवार के सदस्यों या मेसर्स रघबीर साइकिल (पी) लिमिटेड का उक्त कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा।बल्कि यह विरोध करने वालों के मामले का समर्थन करता है और इस प्रकार, किसी भी तरह से पुरस्कार की वैधता को कम नहीं करता है।ये एकमात्र ऐसे बिंदु हैं जिन पर तर्क दिए गए थे।चूंकि निर्णय के पूर्व भाग में पुनः प्रस्तुत आपत्ति याचिका में उल्लिखित अन्य बिंदुओं पर किसी भी तर्क को संबोधित नहीं किया गया था, इसलिए उक्त आपत्तियों पर कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।

(60) आपत्तियों में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, मैं उन्हें अस्वीकार करता हूं।परिणामस्वरूप, मध्यस्थ द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 1993 को दिए गए पुरस्कार को न्यायालय का नियम बना दिया जाता है।आदेश को पुरस्कार के अनुसार तैयार किया जाए।आपत्तियों को खारिज कर दिया जाता है और लागत रुपये निर्धारित की जाती है। 5, 000।

एस. के.

माननीय एस. पी. कुर्दुकर, सी. जे. और एच. एस. बेदी, न्यायाधीश

डॉ. दलबीर सिंह बख्शी,-अपीलार्थी।

बनाम

डॉ. हिमत सिंह अनेजा और एक और,-उत्तरदाता।

1993 का एल. पी. ए. 895

9 मई, 1994

P.C.M.S। (वर्ग I) नियम, 1972, जैसा कि 1979 में संशोधित किया गया था-नियम 9 (2) (3) और 9-ए-प्रतिनियुक्तिदाता के रूप में प्रदान की गई सेवा-मूल विभाग में कर्मचारी की वापसी-प्रतिनियुक्ति पर प्रदान की गई सेवा का लाभ-चाहे कर्मचारी को विशेष पोस्टिंग का दावा करने का अधिकार हो-दुर्भावनापूर्ण पोस्टिंग-अदालत ऐसे आदेश को रद्द कर सकती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि जब कोई कर्मचारी किसी अन्य संवर्ग में प्रतिनियुक्ति पर जाता है और जब वह वापस आता है तो दूसरे संवर्ग में उसकी पूरी सेवा को सभी उद्देश्यों के लिए मूल संवर्ग में लिया जाता है जैसे कि प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, ऐसा व्यक्ति मूल विभाग में काम कर रहा था।

(पैरा 16)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी विशेष पद या नियुक्ति का अधिकार या दावा नहीं हो सकता है।यदि किसी कर्मचारी के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसके विनाशकारी परिणाम निकलेंगे।यदि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा शक्ति **का प्रयोग** दुर्भावनापूर्ण या दागी पाया जाता है, तो न्यायालय ऐसी कार्रवाई को रद्द कर सकता है।

(पैरा 21)

याचिकाकर्ता की ओर से जे. एस. खेहर, अधिवक्ता और एम. एस. बेदी, निर्मल सिंह, वी. एस. चंदोक और **राजेश्वर सिंह ठाकुर, अधिवक्ता**

एच. एस. मत्तेवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, गुरमिंदर सिंह, अधिवक्ता, एस. एस. सारोन, डी. ए. जी., **पंजाब, प्रतिवादी की ओर से।**

निर्णय

एस. पी. कुर्दुकर, मुख्य न्यायाधीश।

(1) इन दो संबंधित पेटेंट अपील पत्रों का निपटान इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा सकता है क्योंकि ये 1993 की सिविल रिट याचिका संख्या 6375 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 14 दिसंबर, 1993 के एक निर्णय और आदेश से उत्पन्न होते हैं।

(2) 1993 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 895 अपीलकर्ता डॉ. दलबीर सिंह बख्शी (इसके बाद 'डॉ. बख्शी' के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर की गई है, जो इस अपील में रिट याचिकाकर्ता डॉ. हिम्मत सिंह अनेजा द्वारा दायर रिट याचिका में दूसरे प्रतिवादी थे, (इसके बाद 'डॉ. अनेजा' के रूप में संदर्भित)।पंजाब राज्य द्वारा 1993 की पत्र पेटेंट अपील सं. 903 को प्राथमिकता दी गई है, जो उक्त रिट याचिका में पहला प्रतिवादी है।

(3) विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय में प्रासंगिक तथ्यों को बहुत संक्षिप्त और संक्षिप्त रूप से निर्धारित किया है और इस निर्णय में इन सभी तथ्यों को विस्तार से दोहराना आवश्यक नहीं है।हालाँकि, हम अपने सामने उठाए गए प्रतिद्वंद्वी विवादों की सराहना आदेश के लिए कुछ आवश्यक तथ्यों को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।इस निर्णय के

उद्देश्य के लिए, डब्ल्यू. ओ. 1993 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 895 के संकलन में निर्धारित तथ्यों का उल्लेख कर सकता है।

(4) 29 मई, 1993 को डॉ. अनेजा ने आदेश को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक रिट याचिका दायर की।

दिनांक 28 मई, 1993 (अनुलग्नक पी-11)-जिसके द्वारा डॉ. बख्शी को पंजाब सरकार द्वारा निदेशक स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के पद पर पदोन्नत किया गया है, उन्होंने प्रार्थना की कि पदोन्नति और नियुक्ति के उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया जाए और पंजाब सरकार को P.C.M.S के अनुसार उन्हें निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के पद पर विचार करने और नियुक्त करने का निर्देश दिया जाए। (वर्ग-1) नियम, 1972, जैसा कि 1979 में संशोधित किया गया था (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित)।रिट याचिका में उपरोक्त राहत रिट याचिका में निम्नलिखित कथनों पर आधारित थी।

(5) अधिकांश तथ्य विवादित नहीं हैं और इसलिए हम इन तथ्यों को विवादित नहीं मान सकते हैं।डॉ. अनेजा और डॉ. बख्शी दोनों को 1 मार्च, 1973 (अनुलग्नक पी-3) को P.C.M.S (श्रेणी-1) सेवा में नियुक्त किया गया था।P.C.M.S की वरिष्ठता सूची। (प्रथम श्रेणी) अधिकारियों

को जुलाई 1975 में कुछ समय के लिए तैयार किया गया था।डॉ. अनेजा को सीरियल नंबर 65 पर रखा गया था जबकि डॉ. बख्शी को सीरियल नंबर 67 पर रखा गया था।वर्ष 1979 की संशोधित वरिष्ठता सूची ने फिर से डॉ. अनेजा को क्रम संख्या 62 पर रखा जबकि डॉ. बख्शी को क्रम संख्या 64 पर रखा।18 मई, 1987 को इन दोनों डॉक्टरों को उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के रूप में पदोन्नत किया गया (संलग्नक पी-4 देखें)।इसके लिए तैयार की गई वरिष्ठता सूची में डॉ. अनेजा को क्रम संख्या 7 पर **जबकि** डॉ. बख्शी को क्रम संख्या 9 पर दिखाया गया था।इन दोनों डॉक्टरों को 27 सितंबर, 1989 को-संलग्नक पी-5 के माध्यम से संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के रूप में पदोन्नत किया गया था और उक्त संवर्ग में डॉ. अनेजा को डॉ. बख्शी से वरिष्ठ दिखाया गया था।इस प्रकार, यह स्वीकार की गई स्थिति है कि डॉ. अनेजा हर समय डॉ. बख्शी से वरिष्ठ रहे हैं।

(6)2 अप्रैल, 1990 को डॉ. बख्शी को केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था।• निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के रूप में चंडीगढ़।इसके बाद इन दोनों डॉक्टरों को स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के अतिरिक्त निदेशकों के पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया।दोनों को योग्यता के आधार पर बराबर पाया गया।चूंकि डॉ.

अनेजा डॉ. बख्शी से वरिष्ठ थे, इसलिए उन्हें 21 नवंबर, 1990 को अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण (अनुलग्नक पी-6) के रूप में पदोन्नत किया गया।चूंकि डॉ. बख्शी केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर थे, इसलिए उन्हें 31 अक्टूबर, 1991 (अनुलग्नक पी-7) को अतिरिक्त निदेशक के रूप में प्रोफॉर्मा पदोन्नति दी गई।

(7) यह भी आम आधार है कि इन दोनों डॉक्टरों की सेवाएं पंजाब सिविल मेडिकल सर्विस (क्लास-I) नियम, 1972 नामक नियमों द्वारा शासित होती हैं, जैसा कि 1979 में संशोधित किया **गया** था-24 अप्रैल, 1979 की अधिसूचना के माध्यम से।नियमों के परिशिष्ट ए में निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के पद को संदर्भित किया गया है।पंजाब सरकार ने अतीत में निदेशक, स्वास्थ्य का एक 'पूर्व-संवर्ग पद' बनाया है।सेवा सामाजिक बीमा (इसके बाद 'निदेशक, स्वास्थ्य सेवा एस. आई.') , 1992 में निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एस. आई.) का पद खाली हो गया।डॉ. अनेजा को वरिष्ठतम अतिरिक्त निदेशक होने के नाते उक्त पद का वर्तमान कर्तव्य प्रभार सौंपा गया था-16 मार्च, **1992** के आदेश (अनुलग्नक पी8) के अनुसार।29 मार्च, 1993 को-संलग्नक पी-10 के **माध्यम** से, पंजाब सरकार ने डॉ. अनेजा को पदोन्नत किया और उन्हें

रुपये के वेतनमान में निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एस. आई.) के रूप में नियुक्त किया। 5900-200-6700।निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण का पद डॉ. राम लाई द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति पर 30 अप्रैल, 1993 को खाली हो गया था।पंजाब सरकार ने 28 **मई,** टी 993 (अनुलग्नक पी-11) के आदेश के माध्यम से डॉ. बख्शी को निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण, पंजाब के रूप में पदोन्नत किया। 5900-200-6,700।स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण निदेशक के कैडर पद पर डॉ. बख्शी की इस पदोन्नति और नियुक्ति को डॉ. अनेजा ने रिट याचिका में चुनौती दी थी।

(8)याचिका में कहा गया है कि 30 अप्रैल, 1993 को स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के निदेशक के रूप में डॉ. राम लाई की सेवानिवृत्ति पर, कैडर का पद वह P.C.M.S के कैडर में सबसे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं। (वर्ग-I), को नियमों के अनुसार निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के संवर्ग पद पर विचार और नियुक्त किया जाना चाहिए था।संशोधित नियमों के अनुसार, वह P.C.M.S में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। (वर्ग-I) और चूंकि उन्होंने नियमों के नियम 9 (2) (3) और 9-ए की पात्रता और आवश्यकताओं को पूरा किया है, इसलिए उन्हें निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के संवर्ग पद पर नियुक्त

किया जाना चाहिए था।वैकल्पिक रूप से उन्होंने कहा कि हालांकि उन्हें स्वास्थ्य सेवा निदेशक (एस. आई.) के पूर्व-संवर्ग पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन उन्हें सबसे वरिष्ठ होने के नाते पूर्व-संवर्ग पद से संवर्ग पद पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए था।याचिकाकर्ता (डॉ. अनेजा) और डॉ. बख्शी के गुण बराबर होने के कारण, डॉ. अनेजा को डॉ. बख्शी की वरीयता में स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के निदेशक के कैडर पद पर स्थानांतरित और नियुक्त किया जाना चाहिए था।इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एस. आई.) के पूर्व कैडर पद पर नियुक्त किया गया था, वह अभी भी मूल नाक या अतिरिक्त निदेशक पर ग्रहणाधिकार रखते हैं, और इसलिए 30 अप्रैल, 1993 को डॉ. राम लाई की सेवानिवृत्ति पर, उन्हें डॉ. बख्शी के साथ निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के कैडर पद पर विचार किया जाना चाहिए था।

और परिवार कल्याण।तब याचिका में यह कहा गया था कि डॉ. बख्शी नियमों के नियम 9 (2) (3) और 9 ए के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं और परिणामस्वरूप स्वास्थ्य निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति होती है।कैडर पद पर सेवा और परिवार कल्याण अवैध है।यह भी अनुरोध किया गया कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण का कैडर पद उच्च स्थिति में है और इसलिए, याचिकाकर्ता डी. ई. अनेजा को वरिष्ठ और प्रथम चिकित्सा अधिकारी होने के नाते इसकी पेशकश की जानी चाहिए थी।डॉ. बख्शी की नियुक्ति पक्षपातपूर्ण कार्य है।28 मई, 1993 का विवादित आदेश सत्ता का एक रंगीन प्रयोग होने के कारण अस्थिर है।याचिकाकर्ता के दावे को निरस्त करते हुए 28 मई, 1993 के आदेश के माध्यम से डॉ. बख्शी की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का पूरी तरह से उल्लंघन है।इसलिए याचिकाकर्ता डॉ. अनेजा ने प्रार्थना की कि 28 मई, 1993 (अनुलग्नक पी-11) के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाए और उन्हें निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण, पंजाब के संवर्ग पद पर नियुक्त किया जाए।

(9) पंजाब राज्य ने लिखित बयान दायर किया और याचिका का विरोध किया।हालाँकि, डॉ. बख्शी ने कोई अलग लिखित बयान दायर

नहीं किया, लेकिन अपनी नियुक्ति को वैध और बिना किसी बुराई से पीड़ित होने को सही ठहराने की कोशिश की।पंजाब राज्य ने अपने लिखित बयान में अनुरोध किया कि दोनों पद यानी निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण और निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एस. आई.) स्थिति में समान हैं और समान वेतन देते हैं।उन्होंने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता डॉ. अनीजा जे. एस. डॉ. बख्शी से वरिष्ठ हैं और वे दोनों गुणों में समान हैं।द्वारा मुकदमा दायर किया गया।पंजाब राज्य का कहना है कि डॉ. अनेजा को पहले ही पदोन्नत किया जा चुका था और 29 मार्च, 1993 (अनुलग्नक पी-10) के निदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं के संवर्ग में लाया गया था और इसलिए, उन्हें फिर से निदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं के संवर्ग पद पर विचार आदेश का प्रश्न है।और परिवार कल्याण उत्पन्न नहीं हुआ।सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते डॉ. बख्शी को पदोन्नत किया गया और निदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं के कैडर में लाया गया और निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के रिक्त पद पर पोस्टिंग करते समय, एक कैडर पद, डॉ. अनेजक के साथ-साथ डॉ. बख्शी पर पंजाब सरकार द्वारा विचार किया गया-डॉ. बख्शी को कैडर में नियुक्त करने का एक सचेत निर्णय लिया गया।निदेशक का पद।स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण और इसलिए, न तो कोई अवैधता है और न ही डॉ.

बख्शी की पदोन्नति का आदेश किसी बुराई से ग्रस्त है।कोई सरकारी कर्मचारी नहीं।किसी विशेष पद या नियुक्ति के अधिकार का दावा कर सकते हैं।यह सरकार का विशेषाधिकार है और यह न्यायसंगत नहीं है।याचिका योग्यता और योग्यता से रहित है।उसी को खारिज कर दिया जाए।

(10) विद्वान एकल न्यायाधीश, पार्टियों के वकील सुनने के बाद और रिकॉर्ड पर रखे गए विवरण और प्रासंगिक दस्तावेजों को देखने के बाद!((i)।कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवा का पद और

परिवार कल्याण (संवर्ग पद) की स्थिति उच्च है और इसे निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एस. आई.) के पद की तुलना में अधिक शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हैं। (ii) डॉ. अनीजा, डॉ. बख्शी से वरिष्ठ होने के कारण और दोनों गुणों के आधार पर समान होने के कारण, वरिष्ठता निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण, कैडर पद पर नियुक्ति के संबंध में मानदंड होना चाहिए था; (iii) यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि डॉ. अनीजा को दो महीने की अवधि के दौरान कोई प्रतिकूल टिप्पणी का सामना करना पड़ा था; (iv) पंजाब सरकार की ओर से डॉ. अनीजा के निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के कैडर पद पर दावे को दरकिनार करना एक चतुराई भरा कदम था; और (v) विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी राय व्यक्त की कि डॉ. बख्शी की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का स्पष्ट उल्लंघन है।विद्वान एकल न्यायाधीश ने तब टिप्पणी कीः–

> " और मैं संतुष्ट हूं कि निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पंजाब का कैडर पद स्थिति और जिम्मेदारी में उच्च होने के कारण, याचिकाकर्ता को इसके लिए विचार करने का वैध अधिकार था, लेकिन अप्रासंगिक विचार के आधार पर ऐसा नहीं माना गया था।यहां तक कि अभिलेख पर भी दोनों पदों

की समानता दिखाने वाला कुछ नहीं है।बल्कि संलग्नक पी-12, जो एक आधिकारिक दस्तावेज है, हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इस मामले को स्पष्ट करता है कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवा एस. आई. का पद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पंजाब के निदेशक के पद की तुलना में स्थिति और जिम्मेदारियों में कम है।"

विद्वान एकल न्यायाधीश ने तब टिप्पणी कीः

"घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को पूर्व संवर्ग पद के खिलाफ संवर्ग से बाहर निकालकर प्रतिवादी संख्या 2 का पक्ष लेने के लिए यह एक चतुराई भरा कदम था, जो निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संवर्ग पद के बराबर नहीं है।"

अतीत की मिसाल पर भरोसा करते हुए, विद्वान।एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए जब इसकी जांच की जाती है तो यह न्यायालय की अंतरात्मा को आहत करता **है।डॉ.** बख्शी के डॉ. अनेजा क्विज़-री-उइज़ की पूर्ववर्ती, विभागीय फाइलें और अंतर-योग्यता।लोक सेवा में नियुक्ति के मामले में समानता और निष्पक्षता मार्गदर्शक सिद्धांत होने के कारण पंजाब

सरकार को इन सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था और डॉ. बख्शी को नियुक्त करना चाहिए था। परिणामस्वरूप, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 28 मई, 1993 के विवादित आदेश (अनुलग्नक पी-11) को दरकिनार कर दिया और निर्देश दिया।पंजाब सरकार याचिकाकर्ता के मामले पर तदनुसार विचार करेगी

निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एस. आई.) के पद की तुलना में निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के पद को उच्च दर्जा और जिम्मेदारियों में माने जाने वाले मौजूदा नियम, पूर्व अभ्यास और व्यवहार-विद्वान एकल न्यायाधीश ने पंजाब सरकार को दो महीने के भीतर इन निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया और इस बीच, निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का पद P.C.M.S में संवर्ग में सबसे वरिष्ठ पदधारी को दिया जाए। (वर्ग-I) पिछले पूर्ववर्ती के अनुसार।यह विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित यह आदेश है जो इन दोनों पत्र पेटेंट अपीलों में चुनौती का विषय है।

(11) डॉ. बख्शी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री खेहर ने आग्रह किया कि एक बार डॉ. अनेजा को पदोन्नत करके निदेशक के कैडर में लाया गया और स्वास्थ्य सेवा निदेशक (एस. आई.) के पूर्व कैडर पद पर नियुक्त किए जाने के बाद, उन्हें फिर से निदेशक, स्वास्थ्य

सेवा और परिवार कल्याण, कैडर पद पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है।पंजाब सरकार ने निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के पद पर नियुक्ति करते समय डॉ. अनेजा और डॉ. बख्शी दोनों पर विचार किया।पंजाब सरकार ने न तो अवैध रूप से काम किया और न ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन किया।स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के निदेशक के रूप में डॉ. बख्शी की नियुक्ति किसी भी बुराई से ग्रस्त नहीं है और न ही इसे भेदभावपूर्ण माना जा सकता है।उन्होंने यह भी आग्रह किया कि डॉ. बख्शी अक्टूबर, 1994 में किसी समय सेवानिवृत्त हो रहे हैं।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के निदेशक के पद के लिए डॉ. बख्शी को प्राथमिकता दी, तो उक्त निर्णय में कोई भी दोष नहीं पाया जा सकता है।निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण और निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एस. आई.) के पद स्थिति और वेतनमान में बराबर हैं।इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश कानून और तथ्यों के विपरीत है और इसलिए इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

(12) पंजाब राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री सरोन ने श्री खेहर की दलीलों को स्वीकार किया और इसके अलावा

उन्होंने आग्रह किया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी विशेष पद या नियुक्ति के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।पंजाब सरकार ने निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण, कैडर पद के रिक्त पद को भरने के लिए डॉ. अनेजा के साथ-साथ डॉ. बख्शी दोनों पर विचार किया।28 मई, 1993 का विवादित आदेश (अनुलग्नक पी-11) उचित और न्यायसंगत है।डॉ. बख्शी के साथ न तो कोई भेदभाव किया गया और न ही कोई पक्षपात किया गया।विद्वान एकल न्यायाधीश का विवादित निर्णय सही नहीं है और इसे रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

(13) डॉ. अनेजा की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मत्तेवाल ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए प्रत्येक निष्कर्ष का समर्थन किया।उन्होंने आग्रह किया कि डॉ. बख्शी बिल्कुल भी पात्र नहीं थे क्योंकि उन्होंने नियमों के नियम 9-ए (ए) के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था।इस शर्त पर जोर दिया गया था कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, P.C.M.S। (वर्ग-I) अधिकारी को न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के पद पर काम आदेश का अनुभव होना चाहिए (नियम 9-ए (ए) देखें)।डॉ. बख्शी• उन्हें 27 सितंबर, 1989 को संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद उन्हें 2 अप्रैल, 1990 को स्वास्थ्य सेवा निदेशक के रूप में केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था।केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा निदेशक का पद मूल विभाग में उप निदेशक के पद के बराबर है।डॉ. बख्शी को न्यूनतम एक वर्ष के लिए संयुक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के पद पर काम करने का कोई अनुभव नहीं था क्योंकि वे केंद्र शासित प्रदेश में निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे जो मूल विभाग में उप निदेशक के पद के बराबर है।इस तथ्यात्मक

स्थिति को देखते हुए डॉ. बख्शी निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण, कैडर पद के रूप में नियुक्त होने के लिए पूरी तरह से अयोग्य थे।

(14) श्री मत्तेवाल ने तब आग्रह किया कि चूंकि डॉ. अनेजा को निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एस. एल.) के पूर्व कैडर पद पर नियुक्त किया गया था, इसलिए मूल विभाग में अतिरिक्त निदेशक के मूल पद पर उनका ग्रहणाधिकार अभी भी जारी है।स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण निदेशक के कैडर पद के लिए उनके नाम पर विचार किया जाना चाहिए था।श्री मत्तेवाल ने इसलिए आग्रह किया कि डॉ. बख्शी को निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण, एक संवर्ग पद के रूप में नियुक्त करने का 28 मई, 1993 का आदेश, डॉ. अनेजा के दावे पर विचार किए बिना, अवैध है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।विद्वान एकल न्यायाधीश ने 28 मई, 1993 के डॉ. बख्शी के नियुक्ति आदेश को रद्द कर दिया था।श्री मत्तेवाल ने यह भी आग्रह किया कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के पद को अधिक विशेषाधिकारों के साथ उच्च दर्जा दिया जाना उचित है और विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त निष्कर्ष में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।श्री मत्तेवाल ने विद्वत एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों पर दृढ़ता से भरोसा किया जैसा कि ऊपर

उद्धृत किया गया है जो अभिवचनों की सराहना पर आधारित है और दस्तावेजी साक्ष्य मामले की परिस्थितियों में पूरी तरह से उचित होने के कारण, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।श्री मत्तेवाल ने इसलिए आग्रह किया कि दोनों अपीलों को खारिज कर दिया जाए।

(15) अभिलेख पर सामग्री की जांच पर पार्टियों के वकील को अधिक विस्तार से सुनने के बाद हम बहुत सम्मान के साथ हैं

इसके बाद दिए गए कारणों के बारे में विद्वान एकल न्यायाधीश से सहमत होने में असमर्थ।

डॉ. बख्शी की पात्रता के संबंध में पहले उल्लेख पर आते हुए नियम 9-ए के संदर्भ में, **यह** कहा जा सकता है कि डॉ. बख्शी **पात्रता** मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।प्रासंगिक रूलेग को यूटडर के रूप में पढ़ा जाता हैः–

"नियम 9.विधि 61 भर्ती।–

(2) निदेशक स्वास्थ्य सेवा, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवा और उप निदेशक स्वास्थ्य सेवा के पद पर भर्ती सेवा के सदस्यों में से चयन द्वारा की जाएगी।

(3) (सभी पदोन्नति।चाहे वह एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में हो या एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में सेवा के लिए चयन योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा और केवल वरिष्ठता ही नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देगी।

(4) .वरिष्ठ पद पर नियुक्ति।–हो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा

-

(क) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के पद पर, जब तक कि उसे संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के पद पर न्यूनतम एक

वर्ष की अवधि के लिए काम करने का अनुभव न हो।"

(16) श्री. 3 खेहर, 1 द लर्नेड काउंसल लॉर डॉ.:बख्शी ने कहा कि प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण डॉ. बख्शी उनके पास आए।केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए, जब वह P.C.M.S में संयुक्त निदेशक का एक महत्वपूर्ण पद धारण कर रहे थे।(वर्ग-जे) की सेवा।पंजाब सरकार।यह मानते हुए कि केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में निदेशक का पद P.C.M.S में उप निदेशक के पद के बराबर है। (वर्ग-I) में सेवा।पंजाब सरकार, यह नहीं मान सकती कि डॉ. बख्शी उप निदेशक थे जब वास्तव में वे पंजाब सरकार में संयुक्त निदेशक का पद संभाल रहे थे।डॉ. बख्शी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर निचले पद तक कम नहीं किया जा सकता है। डॉ. बख्शी को समान संवर्ग अर्थात संयुक्त निदेशक माना जाएगा।इस बात को सामने लाने के लिए, श्री खेहर ने नियमों के नियम 9-ए (ए) और (बी) में उपयोग किए गए वाक्यांशों की ओर हमारा ध्यान आआदेशित किया।श्री खेहर ने अपने निवेदन के समर्थन में राम सरन और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा **किया।खण्ड पीठ ने फैसला** सुनाया **"जहाँ ए**

(1) 1991 (1) हाल के सेवा निर्णय 107.

व्यक्ति किसी अन्य संवर्ग में प्रतिनियुक्ति पर जाता है और जब वह वापस आता है तो दूसरे संवर्ग में उसकी पूरी सेवा को सभी उद्देश्यों के लिए मूल संवर्ग में ले लिया जाता है जैसे कि प्रतिनियुक्ति की अवधि के सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, ऐसा व्यक्ति पितृत्व विभाग में काम कर रहा था।" मैसूर राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और एक अन्य बनाम पी. एन. नंजुंडिया और एक अन्य (2), (पैरा 13 देखें) से समर्थन प्राप्त किया गया था।हम इस निर्णय में इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा निर्धारित अनुपात से सहमत हैं।

(17) श्री खेहर ने तब मैसूर राज्य में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय और एक अन्य बनाम पी. एन. नंजुंडिया और एक अन्य (2) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।यह एक कर्मचारी का मामला था जिसे बीएन प्रतिनियुक्ति भेजा गया था।यह सवाल उठा कि क्या नए विभाग में प्रतिनियुक्तक के रूप में सेवाओं को मूल विभाग में पदोन्नति के लिए गिना जा सकता है।उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि नए विभाग में सेवा प्रतिनिधि को मूल विभाग में पदोन्नति के लिए गिना जा सकता है बशर्ते कि नए विभाग में प्रदान की गई सेवा संतोषजनक हो (पैरा 3 देखें)।हमारी राय में यह निर्णय श्री मत्तेवाल द्वारा उठाए गए तर्क का पूर्ण उत्तर है।हालाँकि, श्री माटेवाल ने पंजाब सिविल

सेवा नियम, खंड में नियम 10.21 में निहित 'प्रतिनियुक्ति' शब्द के संदर्भ में निर्णय में अंतर करने की कोशिश की। 1 पृष्ठ 195 पर भाग 1।हम श्री मत्तेवाल द्वारा मांगे गए अंतर को प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं।इसलिए यह माना जाना चाहिए कि डॉ. बख्शी ने नियमों के नियम 9 (2) (3) और 9-ए (ए) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया है।

(18)तथापि, श्री मत्तेवाल ने लीला राम सलूजा बनाम बाल कृष्ण सोनी और एक अन्य (3) मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।उन्होंने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 15,16 और 17 पर भरोसा किया।यह निर्णय फिर से तथ्यों पर स्पष्ट रूप से अलग है और इस निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों **पर** लागू नहीं होता है।

(19)वर्तमान अपील में जिस अगले विवाद पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के रिक्त पद को भरने के समय डॉ. अनेजा पर विचार करने की आवश्यकता थी, कैडर पद जो 30 अप्रैल, 1993 को डॉ. राम लाल की सेवानिवृत्ति पर खाली हुआ था।यह विवादित नहीं है कि डॉ. अनेजा

को 29 मार्च, 1993 के आदेश (अनुलग्नक पी-10) के माध्यम से निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एस. आई.) के रूप में पदोन्नत किया गया था।यह एक नियमित पदोन्नति थी।पदोन्नति के इस आदेश (अनुलग्नक पी-10) का प्रभाव है

(2) 1969 S.L7R। 346।

(3) 1983 (2) एसएलआर 753।

डॉ. अनेजा को निदेशक के कैडर में लाने के लिए, हालांकि उन्हें कैडर पद पर नियुक्त नहीं किया गया था क्योंकि यह पद खाली और उपलब्ध नहीं था।डॉ. अनेजा ने निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एस. आई.), पूर्व कैडर पद पर पदोन्नति स्वीकार कर ली थी और 28 मई, 1993 को डॉ. बख्शी को निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण, एक कैडर पद के रूप

में नियुक्त किए जाने तक वे इसी पद पर बने रहे।डॉ. अनेजा (अनुलग्नक पी-10) तदर्थ पदोन्नति का आदेश दूर से भी यह संकेत नहीं देता है कि यह या तो विराम-अंतराल व्यवस्था थी या एक तदर्थ पदोन्नति थी।यह एक स्पष्ट रिक्ति के खिलाफ एक नियमित पदोन्नति थी।यदि ऐसा है, तो श्री मत्तेवाल के इस तर्क को प्रतिग्रहण करना करना मुश्किल है कि डॉ. अनेजा अभी भी P.C.M.S में अतिरिक्त निदेशक के अपने मूल पद पर ग्रहणाधिकार बनाए हुए हैं। (क्लासी) सेवा।यह डॉ. अनेजा का मामला नहीं है कि उन्होंने निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एस. आई.) के पद पर पदोन्नति को स्वीकार किया, जो निदेशक के कैडर पद पर उनके दावे पर पूर्वाग्रह के बिना पूर्व कैडर पद है।निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एस. आई.) के रूप में डॉ. अनेजा का 29 मार्च, 1993 का पदोन्नति आदेश (अनुलग्नक पी10) सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए अंतिम और निर्णायक है और डॉ. अनेजा को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह अभी भी P.C.M.S में अतिरिक्त निदेशक के पद पर ग्रहणाधिकार बनाए हुए हैं। (प्रथम श्रेणी) सेवा और इसलिए, उन्हें फिर से निदेशक के कैडर पद पर विचार किया जाना चाहिए था।इन परिस्थितियों में, जब डॉ. बख्शी को 28 मई, 1993 को संवर्ग के पद पर पदोन्नत किया गया था, तब पंजाब सरकार ने डॉ. अनेजा को निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और

परिवार कल्याण के पद के लिए नहीं माना था, तो यह तथ्य किसी भी तरह से पंजाब सरकार की कार्रवाई को अवैध या नियमों के विपरीत नहीं बनाता है।

(20) श्री मत्तेवाल ने जोर देकर आग्रह किया कि डॉ. अनेजा सबसे वरिष्ठ P.C.M.S हैं। (प्रथम श्रेणी) अधिकारी और इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एस. टी.) के पूर्व कैडर पद पर पदोन्नत किया गया था, उन्हें निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के कैडर पद के लिए विचार किया जाना चाहिए था।पूर्व संवर्ग का पद अस्थायी प्रकृति का होता है।डॉ. अनेजा को सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते कैडर पद के लिए विचार किए जाने का पूरा अधिकार मिला है।मान लीजिए कि ऐसा नहीं करने के बाद, डॉ. बख्शी को स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण निदेशक के रूप में नियुक्त करने का 28 मई, 1993 का विवादित आदेश नियमों के विपरीत है।हमारी सुविचारित राय में श्री मत्तेवाल का तर्क सेवा न्यायशास्त्र के विपरीत प्रतीत होता है।

(21) पंजाब राज्य की ओर से दाखिल की गई लिखित बयान में यह दर्शाया गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार कल्याण के निदेशक के कैडर पद की रिक्ति भरते समय डॉ. अनेजा और डॉ.

बक्शी का दावा ध्यान में रखा गया था। पंजाब सरकार ने उस पद पर डॉ. बक्शी को नियुक्त करने का एक सचेत निर्णय लिया था और इसी तरीके से 28 मई, 1993 की आदेश (अनुलेख पी 11) जारी किया गया था। किसी कर्मचारी को पदोन्नति पद के लिए ध्यान में रखने का अधिकार जरूर होता है और हर प्रतियोगी का दावा योग्यता के आधार पर समालोचना की जानी चाहिए। "किसी सरकारी कर्मचारी को किसी विशेष पद या पदनियुक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। यदि किसी कर्मचारी की इस अनुरोध को माना जाता है, तो इससे अनुपयुक्त परिणाम हो सकते हैं।" तथापि, हम एक सुनिश्चित तरीके से जोड़ सकते हैं कि "यदि प्राधिकरण द्वारा शक्ति का प्रयोग मलाफाइदे या दोषित पाया जाता है, तो अदालत ऐसे कार्रवाई को रद्द कर सकती है"। हमारे सामने दोनों डॉक्टरों को योग्यता के आधार पर समान रूप से देखा गया था। हमने भी यह निर्धारित किया है कि डॉ. बक्शी को स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार कल्याण के निदेशक के कैडर पद के लिए नियुक्ति के लिए योग्य माना जा सकता था और इसके अलावा 28 मई, 1993 को दिनांकित किसी भी दोष का कोई प्रमाण न होने के कारण, सामान्य रूप से अदालत ऐसी पदनियुक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह सरकार का विशेषाधिकार है कि किसे किस पद पर

नियुक्त किया जाना चाहिए, और अदालत इस प्रकार के विचारधारा में सरकार द्वारा की गई ऐसी विवेकपूर्ण निर्णय में हस्तक्षेप करने में धीरे होगी, जब तक यह प्रत्यक्ष रूप से परिपूर्ण, अवैध या भेदभावपूर्ण नहीं दिखाया जाता है।

(22) मिस्टर मैटवाल फिर यह दावा करते हैं कि डॉ. अनेजा द्वारा अंशकालिक पद जो स्वास्थ्य सेवाओं (एस.आई.) का निदेशक है, पी.सी.एम.एस. (कक्षा-I) सेवा में निदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं का समतुल्य पद नहीं है। मिस्टर मैटवाल के अनुसार, सरकार द्वारा इन दोनों पदों को समतुल्य घोषित करने की अभाव में, डॉ. अनेजा जो अंशकालिक पद पर नियुक्त है, उसे स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, परिवार कल्याण के पद को भरते समय अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस दावे को समर्थन में, मिस्टर मैटवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और दूसरा (4) पर निर्भर किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच द्वारा दिया गया है। इस मुकदमे में विवाद का मुद्दा कुछ मौलिक नियमों के व्याख्यान से संबंधित था और विशेष रूप से नियम 9 में था। नियम 9 में, पद के समतापन की घोषणा अनिवार्य थी और इस प्रकार की घोषणा न होने पर नियम 9 का उल्लंघन होता था। मिस्टर मैटवाल ने खासकर

हमारा ध्यान न सिर्फ निर्णय के पैराग्राफ 82, 83, 85 और 89 पर खींचा। हमने इस निर्णय को बहुत ध्यान से पढ़ा है और पाया है कि इसमें स्पष्ट रूप से विभाज्य है क्योंकि नियमों में नियम 9 की तरह कोई प्रावधान नहीं है। मिस्टर मैटवाल ने हमारा ध्यान एक और निर्णय पर भी खींचा, जो केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के एक अन्य निर्णय में गुरणाम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (5)। मिस्टर मैटवाल ने कहा कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है, यह फिर से एक मामला था जहाँ नियम 9-ए के अंतर्गत समता की घोषणा की आवश्यकता थी। तथ्यों पर ट्रिब्यूनल ने धारा की घोषणा को नियमों के अनुसार नहीं माना, और इसी कारण उसे रद्द कर दिया गया। यह निर्णय फिर से लागू नहीं होता है।

(23) विद्वान अधिवक्ता श्री मत्तेवाल ने तब चिकित्सा विभाग में अपनाई जाने वाली पिछली मिसाल और प्रथा पर भरोसा किया।उन्होंने आग्रह किया कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एस. आई.) को आम तौर पर निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण का पद रिक्त होने पर दिया जाता है।श्री मत्तेवाल के अनुसार पिछली प्रथा जो उचित और उचित है, उसे ध्यान में रखते हुए डॉ. अनेजा को निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के संवर्ग पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।उक्त

स्वस्थ अभ्यास से हटने और सरकार को अपने पसंदीदा चुनने और चुनने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं था।उन्होंने यह भी आग्रह किया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि पंजाब सरकार पिछली प्रथा से भटक जाए और 28 मई को डॉ. अनेजा को निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार वेलियर के पद पर नियुक्त करने से इनकार कर दे। 1993 में।उन्होंने आग्रह किया कि डॉ. अनेजा के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।डॉ. अनेजा और डॉ. बख्शी दोनों के साथ योग्यता के आधार पर समान व्यवहार किया गया।अगर ऐसा है।डॉ. अनेजा, जो हर समय वरिष्ठ थे, उन्हें स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण निदेशक के पद से वंचित नहीं किया जाना चाहिए था।हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉ. अनेजा और डॉ. बख्शी दोनों गुणों के मामले में हमेशा समान थे।यह सच है कि डॉ. अनेजा के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है और विशेष रूप से दो महीने के भीतर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जब डॉ. बख्शी को 28 मई, 1993 को नियुक्त किया गया था।इसलिए सवाल यह है कि क्या इस न्यायालय को नियुक्ति के मामले में सरकार द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करना चाहिए।बड़े सम्मान के साथ, हम विद्वान एकल न्यायाधीश से सहमत होने में असमर्थ हैं जब उन्होंने एक निष्कर्ष

दर्ज किया कि 28 मई, 1993 का आदेश डॉ. अनेजा के दावे को पारित करने के लिए एक चतुराई भरा कदम है।हम विद्वान एकल न्यायाधीश से भी सहमत नहीं हैं कि 28 मई, 1993 का आदेश भेदभावपूर्ण और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।जब दो दावेदार होते हैं और केवल एक पद उपलब्ध होता है, तो दोनों को संतुष्ट करने का कोई समाधान नहीं हो सकता है और यह अपने आप में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि नियुक्ति का आदेश भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है।

(5) 1993 (2) एसएलआर 167।

(24) हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस मुद्दे पर कि क्या एक कैडर पद है या अन्यथा हमारे द्वारा विचार नहीं किया जाता है क्योंकि डॉ. अनेजा को पदोन्नत किया गया था और निदेशक के कैडर **में** लाया गया था-29 मार्च, 1993 के प्रचार आदेश के माध्यम से (अनुलग्नक पी-10)।

(25) हम विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष से भी सहमत नहीं हैं कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण का पद निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एस. आई.) के पद की तुलना में उच्च स्थिति में है।विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जिन विभिन्न परिस्थितियों पर भरोसा किया जाता है, उनका बहुत कम महत्व है।ये सभी परिस्थितियाँ आकस्मिक हैं।ये परिस्थितियाँ एक पद को दूसरे की तुलना में उच्च पद पर रखने के लिए निर्णायक नहीं हैं।

(26) हमने जो विचार रखा है, दोनों अपीलों को स्वीकार करना होगा और हम इसकी अनुमति देते हैं।विद्वान एकल न्यायाधीश के 14 दिसंबर, 1993 के विवादित फैसले को रद्द कर दिया गया है और खारिज कर दिया गया है।परिणामस्वरूप डॉ. अनेजा द्वारा दायर 1993

की सिविल रिट याचिका संख्या 6375 को खारिज कर दिया गया।इन परिस्थितियों में, पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे पूरे समय अपनी लागत स्वयं वहन करें।

Dr. Dalbir Singh Bakshi ***v.*** Dr. Himmat Singh Aneja and another
(S. P. Kurdukar, C.J.)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा